

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
कार्यालय आदेश

का० आ० सं० :- 9/स्था०विविध-32/2013 का०...../राँची, दिनांक-.....2023

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-87 के तहत श्री गुलाम सरवर, अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित निम्नलिखित शीर्षों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है:-

i. माँग सं०-33 मुख्य शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-090 सचिवालय उप शीर्ष-04 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

ii. माँग सं०-37 मुख्य शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-090 सचिवालय उप शीर्ष-11 राजभाषा विभाग।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ओम प्रकाश साह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-9/स्था०विविध-32/2013 का०...../राँची, दिनांक-.....2023

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/सहायक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, हटिया शाखा, धुर्वा, राँची/श्री गुलाम सरवर, अवर सचिव/सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-9/स्था०विविध-32/2013 का०.....48...../राँची, दिनांक-.....18.05.23.....2023

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव